चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 21.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों एवं उपस्थित पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी। महोदय द्वारा प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया तथा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन, एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों, 112 पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) वाहनों तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों/थानों के वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को मरम्मत हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर, आरटीसी बैरिक, सीपीसी कैंटीन,मंदिर,भोजनालय, आर्मरी का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया । क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर सलामी ली गयी।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक राम शीष यादव,प्रभारी निरीक्षक आरटीसी श्री शिवमूरत यादव अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

(3). आज दिनाँक-21.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अजेय कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय के मार्गदर्शन में न्यायालय सुरक्षा प्रभारी उपस्थिति में एस-चेक टीम चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा एवं डॉग स्क्वायड एवं एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत न्यायलय परिसर,कोर्ट चैम्बर्स व लॉकप में संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(4). आज दिनांक 21.11.2025 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की की उपस्थिति में श्री जी इंटरनेशनल स्कूल कर्वी में यातायात जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सावधानियाँ अपनाने के संबंध में विस्तृत रूप से जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, नशे की हालत में ड्राइविंग से बचने तथा सड़क पर निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसी आवश्यक बातें बताई गई साथ ही साथ कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने और अपने माता-पिता,परिवार व समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया।
यातायात जागरूकता के महत्वपूर्ण निर्देश-
* हेलमेट एवं सीट बेल्ट जीवन रक्षा का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम हैं ।
* नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि दुर्घटना की गंभीर संभावना भी बढ़ाता है ।
* नशे की हालत में वाहन चलाना सड़क पर स्वयं एवं दूसरों के लिए बड़ा खतरा है ।
* वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग एक सेकंड की चूक में जीवन-घातक दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।
* ओवरस्पीडिंग उत्साह नहीं, बल्कि जीवन के लिए गंभीर जोखिम है ।

इस दौरान जिला कॉरपोरेटिव बैंक बांदा/चित्रकूट अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी यातायात श्री यामीन अहमद एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(5). आज दिनांक 21.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह उपस्थिति में थाना मऊ पुलिस द्वारा यातायात माह नवम्बर जन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत महामती प्राणनाथ महाविद्यालय मऊ में छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरुक किया गया। क्षेत्राधिकारी मऊ द्वारा आमजनमानस को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सावधानियाँ अपनाने के संबंध में विस्तृत रूप से जागरुक किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से सभी को वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, नशे की हालत में ड्राइविंग से बचने तथा सड़क पर निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसी आवश्यक बातें बताई गई साथ ही आमजनमानस को यातायात नियमों का पालन करने और अपने माता-पिता,परिवार व समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया।

<u>यातायात जागरूकता के महत्वपूर्ण निर्देश-</u>

* हेलमेट एवं सीट बेल्ट जीवन रक्षा का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम हैं।
* नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि दुर्घटना की गंभीर संभावना भी बढ़ाता है।
* नशे की हालत में वाहन चलाना सड़क पर स्वयं एवं दूसरों के लिए बड़ा खतरा है।
* वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग एक सेकंड की चूक में जीवन-घातक दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।
* ओवरस्पीडिंग उत्साह नहीं, बल्कि जीवन के लिए गंभीर जोखिम है।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी मऊ द्वारा उपस्थित शिक्षकगण से यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अशोक कुमार शर्मा द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर श्री अंशुमान द्वारा आज दिनांक 21.11.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 59/2020 धारा 279,337,323,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.नानबाबू पुत्र रामसुदीन निवासी गुरौला थाना मानिकपुर 2.मुलानी पुत्र लवलेश निवासी गुरौला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1600/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।